प्रेस नोट-दिनांक: 13.11.2024

जनपद चंदौली

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहा के साथ 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक धीना रमेश यादव के नेतृत्व में थाना धीना पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहा के साथ 03 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस कार्यवाही-
दिनांक 12.11.2024 को अवैध असलहा दिखाकर मोबाइल की छिनैती करने व जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले मोटरसाइकिल सवार तीन बाल अपचारी को मुकदमा वादी व जनता की मदद से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारियों के कब्जे से एक रिवाल्वर 32 बोर व एक लाइटर पिस्टल तथा एक मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस बीआर 45 आर 6989 बरामद किया गया।

विवरण पूछताछ–
पुलिस अभिरक्षा में लिए गए बाल अपचारियों सें पूछताछ के दौरान बताया की हम लोग साथ मिलकर धीना जमानिया के मध्य एकांत होने के कारण आने जाने वाले लोगों को अवैध असलहा दिखाकर मोबाइल की छिनैती करते हैं। जिस बेचकर कुछ धन मिल जाता हैं । जिससे हमलोग अपना रोज का खर्च चलाते थे।

नाम पता बालअपचारी-
1. 03 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 98/2024 धारा 352/351(2)/304/109/3(5)/317(2)/318(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना धीना जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-
1.एक रिवाल्वर 32 बोर
2.एक लाइटर पिस्टल
3.एक मोटर साइकिल स्पलेन्डर प्लस बीआर 45 आर 6989 (थाना करंडा गाजीपुर से चोरी की)

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1.प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
2.उप निरीक्षक राजेश कुमार सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली
3.का0 रंगबहादुर सरोज थाना धीना जनपद चन्दौली
4.का0 शरद प्रसाद थाना धीना जनपद चन्दौली

यातायात पुलिस चंदौली

➡यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 794 वाहनों का चालान करते हुए 10,67,000/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

➡यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट, नो पार्किंग, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लघन करने वालो पर सबसे अधिक की गयी कार्यवाही

➡यातायात माह के चेकिंग अभियान के दौरान यातायात निरीक्षक को एक मोटरसाइकिल पर सवार चालक व छोटे बच्चें द्वारा छोटा हेलमेट धारण किए जाने पर उनकी सराहना करते हुए बधाई दी गयी।

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 794 वाहनों का चालान करते हुए 10,67,000/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-446
2.नो पार्किंग-95
3.तीन सवारी-55
4.सीट बेल्ट-19
5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-18
6.विधि नियमों का उल्लंघन (179)-35
7.गलत नंबर प्लेट-20
8.सेक्शन 3 तथा 4 का उल्लघंन-10

9.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-08

10.मांगने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-50

11.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शर्तों का उल्लंघन-12

12.वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना-03

13.नो एंट्री का उल्लंघन करना-06

14.नाबालिग द्वारा वाहन चलाना-01

15.मदिरा पीकर वाहन चलाना-03

16.मांगने पर प्रदुषण सर्टिफिकेट न दिखा पाना-03

17.माडिफाइड साइलेन्सर-01

18.सीज-03

19.ओवर स्पीड-1

20.प्रेशर हॉर्न बेवजह हॉर्न बजाना.04

21.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-01

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 13.11.2024 को यातायात माह नवंबर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-794

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-10,67,000/-₹ (दस लाख सड़सठ हजार रुपए)